

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 78]

नवा रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 फरवरी 2026 — माघ 24, शक 1947

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग
सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2026

शुद्धिपत्र

क्रमांक 119/सी.एस.ई.आर.सी./2026.— छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचना दिनांक 10.05.2023 के माध्यम से अधिसूचित विनियम “छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2023 में एक मुद्राणात्मक त्रुटि संज्ञान में आयी है। अतः उक्त विनियम में निम्नलिखित शुद्धि किया जाता है—

उक्त विनियम के बिन्दु क्र. 7 में उल्लेखित शब्दों में:—

“कंडिका 26.1(क) के परंतुक के कंडिका ग” को “कंडिका 26.1 (क) के द्वितीय परंतुक के कंडिका ग” पढ़ा जावे।

आयोग के आदेशानुसार

हस्ता. /—

(मथुरा प्रसाद पटेल)

उप-सचिव.